न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 5/2026 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

अमजद खान एडवोकेट, निवासी 2–सी–2, विज्ञान नगर, कोटा, राज0

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 8.5.2026

1. अपीलार्थी श्री अमजद खान एडवोकेट, निवासी 2–सी–2, विज्ञान नगर, कोटा, द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 25.2.2026 (पोस्टल आर्डर कमांक 70 एफ 146540) को लोक सूचना एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
2. अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा से टिप्पणी/जवाब हेतू पत्रांकः रीडर/एडीएम/2026/728 दिनांक 20.4.2026 को पत्र लिखा गया। अपीलार्थी को भी सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र कमांक 729 दिनांक 20.4.2026 भिजवाया गया, अपीलार्थी वास्ते सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहा। लोक सूचना एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा टिप्पणी की गई की आवेदन पत्र में चाही गई सूचना उपखण्ड कार्यालय दीगोद से संबंधित नहीं होने के कारण सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद को हस्तान्तरित कर दी गई।
3. अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार दीगोद द्वारा परिवादी को दी गई सूचना में रेकार्ड/आवंटन पत्रावली उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार दीगोद द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं होने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में जानकारी कर नियमानुसार सूचना परिवादी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 मे देय हो तो अन्दर 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाये।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 8/5/2026 को पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर की जावें।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय अधिकारी
कोटा, जिला कोटा